

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1965/2026

Arjunlal S/o Shri Keshavlal, Aged About 33 Years, R/o Bhimsar,
Police Station Gharhi, District Banswara (Raj).
(Lodged In District Jail Banswara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Jubin Mehta
For Respondent(s)	: Mr. Narendra Gehlot, PP Ms. Deepika Soni

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 85, 115(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में पति-पत्नी के विवाद में मुस्तगीसा द्वारा आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, अब पति-पत्नी के बीच राजीनामा हो गया और साथ-साथ रहेंगे। मुस्तगीसा को प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीसा ने यह स्वीकार किया है कि पति-पत्नी का आपस में राजीनामा हो गया है और साथ-साथ रहना चाहते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने पर अनापत्ति प्रकट की है।
6. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पति-पत्नी का आपस में राजीनामा हो चुका है और दोनों साथ-साथ रहना चाहते हैं। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
7. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **अर्जुनलाल पुत्र केशवलाल**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J